



संख्या -172/2026/ 1120/35-4-2026/35-4099/185/2024

प्रेषक,
अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग- 4

लखनऊ: दिनांक: 03 अगस्त, 2026

विषय - जनपद गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्रांक-382/त्व0आ0वि0यो0/2026-27, दिनांक 03 जुलाई, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत जनपद- गोरखपुर में सड़क निर्माण कार्य से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक- 31 मार्च, 2025, द्वारा स्वीकृत 01 कार्य की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत जनपद- गोरखपुर में सड़क निर्माण कार्य से सम्बन्धित, शासनादेश संख्या-53/2025/385/35-4-2025/35-4099/185/2024, दिनांक- 31 मार्च, 2025 द्वारा स्वीकृत 01 कार्य की रू0 521.45 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 260.72 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत उक्त 01 कार्य के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि का व्यय होना इंगित करते हुए, अनुबन्ध पर हुयी बचत की धनराशि को समायोजित करते अवशेष रू0 254.84 लाख (रूपये दो करोड़ चौवन लाख चौरासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत (जीएसटी सहित)	निविदा की लागत	अन्य कर मदों में	निविदा उपरान्त कार्य की लागत (अनुमन्य चार्ज सहित)	कुल बचत	प्रथम किस्त में अवमुक्त धनराशि	देय धनराशि
महानगर गोरखपुर में धरमपुर तिराहा (लेबर	521.45	436.92002	78.64560	515.56562	5.89	260.72	254.84

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

चौक) से एच0एन0 सिंह चौराहा तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।							
--	--	--	--	--	--	--	--

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक- 31 मार्च, 2025 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
 2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
 3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
 4. कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराते हुए, कार्य पूर्णता की सूचना अपलोड की जायेगी।
 5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2027 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2027 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0 प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात् 30 जून, 2027 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया जायेगा।
 7. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,54,84,000/- लाख (रुपये करोड़ चौवन लाख चौरासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 5054043370304 शहरी क्षेत्रों में सड़कों के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या -172/2026/1120/35-4-2026/35-4099/185/2024, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ० प्र० शासन ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ० प्र० शासन।
6. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त, गोरखपुर मण्डल ।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्तण विभाग, लखनऊ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर ।
10. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर ।
13. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्तण विभाग, गोरखपुर ।
14. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।